

## न्यायालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।

द्वितीय अपील संख्या -39 वर्ष 2012-13

अन्तर्गत धारा-331(4) जमीनदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।

श्रीमती विमला पन्त पत्नी स्व० गणेश पन्त व अन्य निवासी ग्राम मनिहारगोठ, तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) जिला चम्पावत आदि।

—अपीलकर्तागण।

बनाम

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व० सुरेश पन्त व श्री नितिन पाण्डे पुत्र रमेश चन्द्र पाण्डे निवासी हल्द्वानी, जिला नैनीताल निवासी ग्राम मनिहारगोठ, तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) जिला चम्पावत आदि।

—विपक्षीगण।

बावत

खसरा सं०-75व तथा 77व स्थित ग्राम मनिहारगोठ, परगना काली कुमाऊँ तहसील श्री पूर्णागिरि टनकपुर, जिला चम्पावत।

### निर्णय

यह द्वितीय अपील आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल द्वारा अपील संख्या 36/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 के विरुद्ध दायर की गई है जिस द्वारा विद्वान आयुक्त महोदय ने मूल वाद संख्या 1/2007-08 अन्तर्गत धारा 176 जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) श्री पूर्णागिरि, टनकपुर के आदेश दिनांक 26 जुलाई, 2012 को औचित्यपूर्ण पाया था व अपील अस्वीकार कर दी थी।

अपीलकर्ताओं ने इस द्वितीय अपील में श्री नितिन पाण्डे को पक्षकार बनाया है जो न तो मूल वाद में और न ही अपील में पक्षकार थे। इस बिन्दु पर इस न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्क सुनने पश्चात् दिनांक 01 मई, 2012 को निर्णित किया कि श्री नितिन पाण्डे को इस द्वितीय अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है।

मूल वाद तथा अपील में श्रीमती आनन्दी देवी पत्नी स्व० दामोदर पन्त निवासी ग्राम मनिहारगोठ पक्षकार थी परन्तु प्रस्तुत द्वितीय अपील में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है जब कि सामान्यतः उन सभी पक्षकारों को द्वितीय अपील में पक्षकार बनाना चाहिए था जो मूल वाद व अपील में पक्षकार थे। तदापि श्रीमती आनन्दी देवी को पक्षकार न बनाने से उनके किसी अधिकार का हनन नहीं होता है क्योंकि वे विवादित भूमि की खातेदार अथवा सहखातेदार नहीं थीं।

*m. a. y.*

इस द्वितीय अपील में कतिपय विधिक प्रश्नों को सुजित किया गया जिनके संबंध में व्याख्या निम्नवत् है :-

(i) क्या पक्षकारों के मध्य बटवारे के वाद में वाद बिन्दु बनाए बगैर वाद का निस्तारण कर हिस्से निर्धारित करते हुए प्रारम्भिक आदेश/डिक्री पारित की जा सकती है ? प्रारम्भिक आदेश से सम्बन्धित द्वितीय अपील के निर्णय में स्पष्ट किया जा चुका है कि जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत बटवारा सहखातेदारों के बीच कल्पित है व जहाँ प्रस्तुत प्रकरण की भौति प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा स्पष्ट स्पष्ट हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वाद बिन्दु निर्मित किए जाएं। इस प्रकार इस बिन्दु पर द्वितीय अपील सफल नहीं है।

(ii) क्या बटवारे के वाद में बगैर रास्ता दिए कुर्रें बनाये जा सकते हैं ?

जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि रास्ता दिया जाये तदापि प्रस्तुत मामले में मुख्य मार्ग से अपीलकर्ताओं के कुर्रें तक जाने के लिए स्थान उपलब्ध है अतः इस बिन्दु पर द्वितीय अपील सफल नहीं है।

(iii) क्या अन्तिम सुनवाई से पूर्व एक पक्ष द्वारा दाखिल दस्तावेज ग्रहित किए जाने के संबंध में आदेश पारित किए बगैर एवं दूसरे पक्ष को आपत्ति एवं rebuttal का अवसर दिये बगैर दस्तावेज को संज्ञान में लेकर आदेश पारित किया जा सकता है ?


निर्णित कुर्रों के मानचित्र में श्री दिनेश पन्त का रिहाईशी भवन प्रदर्शित किया गया है जिस संबंध में सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) श्री पूर्णागिरि, टनकपुर ने अपने आदेश दिनांक 26 जुलाई, 2012 में उल्लेख किया है कि "दौराने बहस वादी के अधिवक्ता द्वारा दिनेश पन्त को जमीन विक्रय करने के संबंध में साक्ष्य स्वरूप बैनामा/रजिस्ट्री की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई जिसके अवलोकन से विदित है कि श्री दिनेश पन्त को भूमि श्री गणेश पन्त द्वारा अपने जीवन काल में विक्रय किया जाना न्यायालय के संज्ञान में आया है"

मैं अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के मत से सहमत हूँ कि अवर न्यायालय को किसी दस्तावेज चाहे वे रजिस्ट्री क्यों न हो की छायाप्रति का संज्ञान नहीं लेना चाहिए था परन्तु यह भी देखना होगा कि क्या इस त्रुटि से अन्तिम आदेश प्रभावित हुआ अथवा नहीं। अन्तिम आदेश देखने से स्पष्ट है कि भूमि का बटवारा श्रीमती लक्ष्मी देवी व उनके सहखातेदारों के बीच ही किया गया है। अतः न्यायालय की उपरोक्त अभ्युक्ति से अंतिम आदेश प्रभावित नहीं होता है। इस कारण इस बिन्दु पर यह द्वितीय अपील सफल नहीं है।

अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त निर्धारित विधिक बिन्दुओं के अतिरिक्त इस बात पर बल दिया कि बंटवारा मूल्यांकन पर आधारित नहीं है और बंटवारे में भूखण्डों पर स्थित मूल्यवान पेड़ों का संज्ञान नहीं लिया गया है। मूल वाद की पत्रावली में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि भूखण्ड पर मूल्यवान वृक्ष खड़े हैं। अतः बंटवारे में वृक्षों के मूल्यांकन का उल्लेख न किए जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ तक बंटवारा भूमि के मूल्यांकन के आधार पर किए जाने का प्रश्न है, जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के नियम 130 में प्राविधानित है कि प्रत्येक भूखण्ड का मूल्यांकन उसके क्षेत्रफल पर लागू लगान की दर से किया जायेगा। प्रस्तुत वाद में सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) द्वारा ऐसा ही किया गया है।

उपरोक्त कारणों से द्वितीय अपील इस सीमा तक स्वीकार की जाती है कि सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) श्री पूर्णागिरि टनकपुर के आदेश के साथ निर्धारित मानचित्र (मूल वाद की पत्रावली का दस्तावेज संख्या 32/3) में प्रदर्शित दिनेश पन्त का भवन का सीमांकन विलोपित करते हुए वे भूमि कुर्रा नं० 2 (अपीलकर्ता का कुर्रा) में प्रदर्शित की जाये।

देहरादून,  
10 अक्टूबर, 2013



(सुनील कुमार मुद्रा)  
अध्यक्ष।